

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 360

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02495

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर टैक्सटाईल मार्केट", प्रमोटर-मेसर्स ए.डी.जे.

एसोसिएट्स, पता-राजीव गांधी चौक, जरहाभाठा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" बिलासपुर टैक्सटाईल मार्केट" पता-जरहाभाठा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27/09/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 10,000/- को अनावेदक द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 12.09.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है। चालान की प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>